राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्

द्वितीय व तृतीय तल, ब्लॉक–5, डॉ.एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

फोन नं: 0141–5107347 E-Mail:- rajssa_civil@yahoo.co.in फैक्स न: 0141–5107347

क्रमांक :–एफ 5 ( ) राप्राशिप/सिविल/2015–16/ दिनांक :

(सहायक अभियंताओं की प्रतिनियुक्ति/सेवानिवृत सहायक अभियंता की सेवाएं संविदा के आधार पर लेने हेतु वाक्–इन–इन्टरव्यू)

सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत निर्माण कार्यो के क्रियान्वयन हेतु सहायक अभियंताओं की प्रतिनियुक्ति /सेवानिवृत सहायक अभियंताओं की सेवाएं संविदा के आधार पर लेने हेतु निम्न योग्यताधारी समर्पित सहायक अभियंताओं को जिला स्तर के रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति/संविदा पर कार्य करने के लिए चयन एवं पैनल तैयार करने हेतु दिनांक 11.12.2015 (शुक्रवार) को राज्य परियोजना कार्यालय, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, शिक्षा संकुल कार्यालय में **"वाक्–इन–इन्टरव्यू"** आयोजित किया जा रहा है। इच्छुक अभ्यार्थी निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र संबंधित प्रशासनिक विभाग/ अधिकारी से पूर्ति कराते हुये भरकर दिनांक 11.12.2015 को दोपहर 12:00 बजे वाक्–इन–इन्टरव्यू में उपस्थित होवें।

पदनाम व पदों की संख्या	पात्रता
जिला स्तर पर सहायक अभियंता (कुल 12 पद) एवं राज्य परियोजना कार्यालय, जयपुर (1 पद)	जल संसाधन, सार्वजनिक निर्माण, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, कृषि, ज.ग्र.वि. एवं भू संरक्षण, कृषि विपणन बोर्ड, पंचायती राज विभाग, सिविल निर्माण कार्यों से संबंधित अर्द्ध सरकारी विभाग इत्यादि में कार्यरत सहायक अभियंता जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में सिविल कार्य करने का क्रमशः 5 वर्ष का अनुभव अथवा कनिष्ठ अभियंता जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में सिविल कार्य करने का क्रमशः 10 वर्ष का अनुभव, (वांछनीय) हों उपरोक्त विभागों से सेवानिवृत सहायक अभियंता भी आवेदन करने हेतु पात्र हैं।

नोट संभावित रिक्तियों का विवरणः–
(अ) सहायक अभियंता :– जिला मुख्यालय (प्रत्येक पर एक) बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, चूरू, दौसा, डूँगरपुर, जालोर, झालावाड़, पाली, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही **(कुल 12 पद)** एवं राज्य परियोजना कार्यालय **(एक पद)**

आवश्यक निर्देश

1. यह प्रतिनियुक्ति पैतृक विभाग से प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए होगीं। सेवाये संतोषप्रद नहीं होने पर प्रतिनियुक्ति किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। इन पदों पर नियुक्ति अधिकारियों का लियेन पैतृक विभाग में ही रहेगा।
2. **वेतन एवं भत्ते** – सहायक अभियंता के पद हेतु विभिन्न विभागों के चयनित कनिष्ठ अभियंताओं को वर्तमान में स्वीकृत वेतन श्रृखला (पातेय वेतन) ही देय होगी तथा नियम अनुसार प्रतिनियुक्ति भत्ता देय होगा।
3. चयनित आशार्थियों के विरूद्ध कोई विभागीय कार्यवाही एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन नही हों तथा उनके पिछले 5 वर्षो के सेवाकाल में विपरीत टिप्पणी अंकित न हों।
4. आशार्थी द्वारा दी गई सूचना किसी भी स्तर पर अर्थात चयन से पूर्व या चयनोपरान्त गलत पाई जाने पर उसका चयन निरस्त किया जा सकता है।
5. **सेवानिवृत अभ्यार्थियों हेतु कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 26.05.2014 के अनुसार मानदेय व अन्य भत्ते देय होगें। सेवानिवृत अभ्यार्थी साक्षात्कार हेतु पेंशन भुगतान आदेश की प्रति संलग्न करें।**
6. राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् कार्यालय में उक्त पदों के साक्षात्कार हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन "वाक्–इन–इन्टरव्यू की दिनांक को जमा कराना होगा जो परिषद् की वेबसाईट पर www.rajssa.nic.in से डाउनलोड किये जा सकते हैं। वाक्–इन–इन्टरव्यू हेतु मूल दस्तावेज साथ लावें तथा संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की एक सत्यापित फोटो प्रति निर्धारित प्रपत्र के साथ संलग्न करें।
7. उक्त वर्णित पदों की संख्या में वृद्धि अथवा कमी करने तथा **"वाक्–इन–इन्टरव्यू"** निरस्त करने का अधिकार आयुक्त सर्व शिक्षा अभियान, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् जयपुर को है।

आयुक्त